न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/79

मोती आत्मज श्री घांसी जी जाति मीना निवासी ग्राम हरीपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री तेजा जी जाति मीना निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)।
2. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज0)।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री महेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 21.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 75/2022 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता सं0 42 के अनुसार खसरा सं0 1474 रकबा 0.7200 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.7200 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी के अकेले के खातेदारी की कृषि भूमि है। ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई की जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 31 के अनुसार खसरा संख्या 1477 रकबा 0.1942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1478 रकबा 0.7686 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1507 रकबा 0.1618 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.1246 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 मोती के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है, और ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल भजनेरी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देई की जमाबंदी सम्बत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 1475 रकबा 15 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि स्थित है जिसके एक मात्र स्वामी भूमिधारी राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां है। ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार मण्डल डोडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डोकून के जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा संख्या 483 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा गै.मु. रास्ता स्थित है जो ग्राम लक्ष्मीपुरा से ग्राम हरिपुरा तक जाता है जिसके एक मात्र स्वामी भूमिधारी राजस्थान राज्य जये श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां है। उक्त रास्ते की दक्षिणी सीमा ग्राम हरिपुरा पटवार मण्डल

भजनेरी के खसरा संख्या 1477 की उत्तरी सीमा से मिली हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के निवास ग्राम लक्ष्मीपुरा से हरिपुरा जाने वाले रास्ते से जिसका विवरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है, से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 1477 एवं 1478 तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 1475 राजकीय सिवायचक भूमि के पूर्वी मेड़ के सहारे होकर स्थित है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्सा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से ए टू बी के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के ग्राम लक्ष्मीपुरा से अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर पहुंचने हेतु स्थित नहीं है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का एक मात्र रास्ता प्रार्थी के निवास ग्राम लक्ष्मीपुरा से हरिपुरा जाने वाले रास्ते से जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है, से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 1477 एवं 1478 तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 1475 राजकीय सिवायचक भूमि के पूर्वी मेड़ के सहारे होकर स्थित है जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने का एकमात्र रास्ता प्रार्थी के निवास ग्राम लक्ष्मीपुरा से हरिपुरा जाने वाले रास्ते से जिसका विवरण प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित है से प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खसरा संख्या 1477 एवं 1478 तथा प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित खसरा संख्या 1475 राजकीय सिवायचक भूमि के पूर्वी मेड़ के सहारे होकर स्थित है जिसे प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल स्याही से ए टू बी के रूप में दर्शाया गया है, का अंकन राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व नक्शे में कीमतन दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.03.2023 के द्वारा प्रस्तावित रास्ता नक्शा परिशिष्ट क में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिए। और साथ ही तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.03.2023 में जारी निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस, अंतिम नियत की गई।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधी, न्याय व संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी की खसरा नं0 1477 की 0.0048 एवं खसरा नम्बर 1478 की 0.0413 हैक्टेर में रेस्पोन्डेन्ट को रास्ता देने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को प्रस्तुत कार्यवाही की सूचना देने के पूर्व ही दिनांक 25.08.2022 को ही तहसील से संबंधित रास्ते के बारे में सूचना–पत्र जारी कर दिया, जबकि अपीलांट को प्रकरण में नोटिस ही दिनांक 08.09.2022 को प्राप्त हुआ, ऐसी स्थिति में अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पोन्डेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलकर रिपोर्ट करवा ली जो सर्वथा कानून के विपरित है। प्रतिवादी कभी भी अपीलांट के खेतों से नहीं निकला है। अपीलांट की ओर से इस संबंध में रिपोर्ट पर आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के 40 साल से रास्ते का उपयोग करना मानने में त्रुटि की है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से मौजुदा सरकारी रास्ता की राजस्व रिकार्ड की नक्शे प्रस्तुत की थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए कि सरकारी रास्ता लम्बा है, इस कारण नया रास्ता दिया गया है, जो सर्वथा अवैधानिक है, इससे अपीलांट की भूमि दो टूकडों में हो जाएगी। प्रस्तुत मामले में माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही मन मर्जी से आदेश पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट बार–बार कह रहे है कि 40 वर्ष से रास्ता है, तो फिर यह विवाद क्यों हुआ? इससे स्पष्ट है कि रास्ता नहीं था। वहां कोई ग्रेवल–रोड नहीं है। वैसे भी ये बिन्दु साक्ष्य लेकर तय होने चाहिए। यदि किसी आदेश की अपील नहीं हुई तो उसे निर्णय के विरूद्ध अपील में चैलेंज किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही आधार मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की डी. एल. सी. रेट मंगवाये बिना ही आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत आर. आर. टी. 2021(2) पेज 1264–1266 और आर. आर. टी. 2022(2) पेज 1096–1100 पेश किया। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

7. उक्त अपील में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर पहुंचने हेतु रास्ता प्रार्थी को प्रदान किया गया है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नियमानुसार खसरा संख्या 1477, 1478 व 1475 से रास्ता दिया गया है। खसरा संख्या 1475 सिवायचक भूमि है। वास्तव में उक्त रास्ते पर ग्रेवल भी डाला गया है तथा रास्ते के रूप मे काम आ रही थी। अपीलांट का यह कथन असत्य है कि उन्हें मौका–रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट पर अपीलांट के लड़के व भाई के हस्ताक्षर है। पहले भी पक्षकारों के बीच झगड़ा हुआ था तो रामसागर व रामकुंवार को पाबंद किया गया था। मौका रिपोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। अपीलांट अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट पर आपत्ति की, वह अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दी। इस आदेश की कोई रिविजन/अपील अपीलांट ने नहीं की। अतः यह आदेश अन्तिम है। इसकी अपील पोषणीय नहीं है। अंत मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों में पटवारी पटवार मण्डल डोडी तहसील नैनवां द्वारा पी 35 कमांक 06 दिनांक 18.04.2022 को जारी आंशिक नक्शा ट्रैस ग्राम लक्ष्मीपुरा, पटवारी पटवार मण्डल भजनेरी तहसील नैनवां द्वारा पी 35 कमांक 08 दिनांक 18.04.2022 को जारी नक्शा ट्रैस ग्राम हरिपुरा, नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम हरिपुरा तहसील नैनवां की है जिसके अनुसार खसरा सं0 1474 की रकबा 0.7200 भूमि रामलाल पुत्र तेजा हिस्सा– पूर्ण–जाति– मीणा सा. लक्ष्मीपुरा खातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम हरिपुरा तहसील नैनवां की है जिसके अनुसार खसरा सं0 1477 की रकबा 0.1942, खसरा सं0 1478 की रकबा 0.7686, खसरा सं0 1507 की रकबा 0.1618 भूमि मोती पुत्र घासी हिस्सा– पूर्ण–जाति– मीणा सा. खातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील नैनवां खाता संख्या 1 मे दर्ज खसरा नम्बर 483 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा गैर मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 ग्राम हरिपुरा की खाता संख्या 1 मे दर्ज खसरा संख्या 1475 रकबा 15 बिस्वा सिवायचक किस्म बंजड़ दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 ग्राम हरिपुरा तहसील नैनवां की खाता संख्या 40 मे दर्ज खसरा नम्बर 1479, 1481 किता 2 कुल रकबा 1.68 हैक्टेयर की है। जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 ग्राम हरिपुरा तहसील नैनवां की खाता संख्या 6 मे दर्ज खसरा नम्बर 1482 रकबा 0.94 हैक्टेयर की है। नकल जमाबंदी ग्राम हरिपुरा की खाता संख्या 1 मे दर्ज खसरा नम्बर 1496, 1500, 1501 गे.मु.रास्ता दर्ज रिकार्ड है। साथ ही भू अभिलेख निरिक्षक वृत्त देई द्वारा दिनांक 20.09.2022 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट भी संलग्न है। जिस पर प्रार्थी रामलाल, अप्रार्थी के भाई रामकुंवार व अप्रार्थी के पुत्र रामसागर की उपस्थिति अंकित है। दिनांक 08.09.2022 को अप्रार्थी सं0 01 अपीलांट के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय मे अंडरटेकिंग दे दी थी। आदेशिका दिनांक 18.11.2022 के अनुसार रास्ते की रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां से प्राप्त होना अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 की है, जो पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 पटवारी भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा तैयार की गयी है। तथा तहसीलदार नैनवां ने अपने पत्र दिनांक 07.10.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नैनवां को प्रेषित की गयी। अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि मौका रिपोर्ट तैयार करवाने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गयी, परंतु मौका रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 पर अप्रार्थी के भाई रामकुंवार व अप्रार्थी के पुत्र रामसागर की उपस्थिति अंकित है। मौका रिपोर्ट पर अन्य पांच मौतबिरान की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर अंकित है। मौका रिपोर्ट में मौके की स्थिति अंकित है। मौका रिपोर्ट व तहसीलदार नैनवां के पत्र में अंकित है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आदेशिका दिनांक 29.11.2022 के अनुसार अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की। आदेशिका दिनांक 12.12.2022 अनुसार अप्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचन करते हुए खारिज कर दिया। आपत्ति खारिज करते समय तहसीलदार के कथनों को भी ध्यान में रखा गया है। मौका रिपोर्ट पर अपीलांट अप्रार्थी के भाई व पुत्र की उपस्थिति से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी को मौका रिपोर्ट की जानकारी थी। मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी को आपत्ति प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर भी दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर विवेचना करते

हुए अप्रार्थी अपीलांट की आपत्ति को अस्वीकार किया है। अपीलांट का तर्क यह है कि वैकल्पिक रास्ते पूर्व से मौजुद है, परंतु अप्रार्थी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे यह सिद्ध हो कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी की आपत्ति को अस्वीकार कर दिया। तहसीलदार नैनवां के पत्र व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पो0 की भूमि पर पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट पर मौतबिरान की उपस्थिति व हस्ताक्षर भी अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा संक्षिप्त जांच कर प्रार्थना–पत्र के निस्तारण का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मौका–रिपोर्ट पर अप्रार्थी अपीलांट की आपत्ति को भी सुनकर निस्तारित किया है। प्रकरण में अप्रार्थी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व आपत्ति प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने संक्षिप्त जांच कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया है। अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा